

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 72/2022(2022/257)

1. मुकना पुत्र बेदा जाति बैरवा निवासी अम्बापुरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रार्थी

♣ बनाम ♣

1. शिवकरण पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा।
2. रामधन पुत्र मूला जाति बैरवा।
3. रतन पुत्र मूला जाति बैरवा।
4. नाथू पुत्र नारायण जाति बैरवा।
समस्त निवासीगण अम्बापुरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
5. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील केकडी जिला अजमेर।

— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:-

प्रार्थी वकील :- श्री सलीम गौरी

पेराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी


आदेश

दिनांक 7.3.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम अम्बापुरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबन्दी संवत् 2072-76 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:-

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
155-148	412	0.43	बारानी 1
	413	0.70	बारानी 1
	414	0.40	बारानी 1
	415	0.16	बारानी 1
	421	0.20	बारानी 1
	422	0.21	बारानी 1
	423	0.19	बारानी 1
	487	0.14	बारानी 1
	कुल किता 8	रकबा 2.43है.	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा प्रार्थीगण के नाम खातेदार काश्तकार में दर्ज हैं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 उक्त वर्णित आराजीयात के पडौसी है तथा मोकें पर पडौसियों को सीमा विवाद के कारण आपस में झगडा होने का सदैव अन्देशा बना रहता है उपरोक्त वर्णित आराजीयात के स्थाई सीमा चिन्ह पत्थरगढी नही होने से आये दिन सीमा विवाद व मेड को तोड देते है व पडोसियों के मध्य विवाद होता रहता है प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी को उपरोक्त वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त सीमाज्ञान से अप्रार्थीगण संतुष्ट नही है तथा अप्रार्थीगण ने सीमा चिन्हों को नष्ट कर दिया है दिनांक 25.12.2021 को प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजीयात



उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

को हाकने गये तो अप्रार्थीगण लडाईं झगडा फसाद करने लग गये एवं प्रार्थी को हाकने चौकने नही दिया तथा झगडा फसाद करने लग गये इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। रथाई पत्थरगढी व सीमा चिन्ह लगाये जाने का आदेश किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई। अप्रार्थी संख्या 5 पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी द्वारा जवाब टिप्पणी अंकित कर बताया कि संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार प्रार्थना पत्र में अंकित अराजी खातेदारी में दर्ज है राजहित प्रभावित नही है। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम अम्बापुरा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2072-76 के खाता संख्या नया पुराना 155-148 के खसरा संख्या 412, 413, 414, 415, 421, 422, 423, 487 के रकबा 0.43, 0.70, 0.40, 0.16, 0.20, 0.21, 0.19, 0.14 हैक्टर कुल किता 8, कुल रकबा 2.43 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (केडी जमेर)